

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बुधवार 14 अगस्त, 2002 / 23 श्रावण, 1924 (शक)

संख्या :225

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना अध्यक्ष, माडल टाउन, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री करण सिंह को दिनांक 12/8/ 2002 के अपराहन 1.00 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत एम.सी.डी कालोनी, आजादपुर, से नजर बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 12/8/2002 को अपराहन 4.04 बजे रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Wednesday, 14th August, 2002/ Shravana 23, 1924(saka)

No.225

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO Model Town Police Station, North west District, New Delhi:

I have the honour to inform you that Shri Karan Singh Hon'ble member of Legislative Assembly, Delhi were detained at M.C.D. Colony, Azadpur. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1.00 P.M. on 12.8.2002.

He was released at 4.04 P. M on the same day i.e. 12.8.2002.

S.K.SHAMRA
SECRETARY